भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग/CHSS Section

1/ए.एफ., बिधान नगर/Bidhan Nagar,
कोलकाता/Kolkata–700064

सं/No.वीईसीसी/VECC/सीएचएसएस/CHSS/2023/ 838 मई/May 11, 2023
12

पृष्ठांकन/ENDORSEMENT

विषय : सीएचएसएस के तहत परिवार के आश्रित सदस्यों की आय सीमा में संशोधन।
Sub : Revision of income limit for dependent family members under CHSS.

उपरोक्त विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 08.05.2023 के परिशिष्ट संख्या 7/14/2016/IR&W/6045 की एक प्रति सूचनार्थ एतद द्वारा अग्रेषित की जाती है।

A copy of DAE Office Memorandum No. 7/14/2016/IR&W/6045 dated 08.05.2023 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary compliance please.

11/05/2023
(वी.एस.एन.वी.आर. कृष्ण कान्त/
V.S.N.V.R. Krishna Kanth)
सहायक कार्मिक अधिकारी (सीएचएसएस)/
Asstt. Personnel Officer (CHSS)

संलग्न यथोपरि
Encl: As above.

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी - नोटिस बोर्ड और वीईसीसी वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS beneficiaries of VECC – through Notice Boards & VECC Website.

Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
   Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थितप.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
   Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Pay & Accounts Officer, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाऊन, कोलकाता-700163/Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता/Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.

9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU; DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Office-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Office-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC, Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association,VECC.

(☏022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 22824354

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,
मुंबई/ Mumbai - 400 001.

संदर्भ Ref : 7/14/2016/IR&W/6045 — मई May 08, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत परिवार के आश्रित सदस्यों की आय सीमा में संशोधन
Sub : Revision of income limit for dependent family members under CHSS

छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद ऐसे सीएचएसएस लाभार्थियों के वे अभिभावक जो लाभार्थी पर पूरी तरह से निर्भर हैं तथा मुख्य लाभार्थी के साथ रह रहे हैं उन्हें सीएचएसएस में कवरेज का विस्तार देने के उद्देश्य से दिनांक 30.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 714/98-आईआर एंड डब्ल्यू/65 द्वारा उनकी आय सीमा को बढ़ाकर 8,000/- रुपए की गई थी। जबकि बच्चों की निर्भरता के संबंध में छठे सीपीसी के बाद आय सीमा को संशोधित नहीं किया गया था। विभाग ने दिनांक 27.07.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/7/99-आईआर एंड डब्ल्यू/200 द्वारा बच्चों के लिए आय की सीमा 4000/- रुपये निर्धारित की थी।

On implementation of recommendations of 6th CPC the income limit for dependency for the purpose of extending CHSS coverage to the parents who are wholly dependent on the prime beneficiary and are normally residing with the prime beneficiary was enhanced to Rs. 8,000/- vide OM No. 714/98-IR&W/65 dated 30.03.2009. Whereas, in respect of dependency of children the income limit was not revised after 6th CPC. Department had fixed the income limit for children to Rs. 4000/- vide OM No. 1/7/99-IR&W/200 dated 27.07.2000.

2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 28.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/2016/आईआर एंड डब्ल्यू/17165 के तहत, आश्रित माता-पिता के संबंध में सीएचएसएस के अंतर्गत आय सीमा में संशोधन सीएचएसएस खंड 4.1(डी) को प्रतिस्थापित किया गया है कि इसके अनुसार ऐसे माता-पिता सीएचएसएस सुविधा के पात्र होंगे जो पूरी तरह से मुख्य लाभार्थी पर निर्भर हैं और सामान्य रूप से मुख्य लाभार्थी के साथ रहते हैं साथ ही माता-पिता दोनों की सभी स्रोतों से मासिक आय प्रतिफल की तिथि को 9000/- रुपये तथा मँहगाई राहत (डीआर) से अधिक न हो। (डीआर प्रतिफल की तिथि पर एक पेंशनभोगी द्वारा निकाली गई राशि होगी न कि प्रतिफल की तिथि पर देय डीआर की राशि)।

Consequent on the implementation of 7th CPC recommendations, vide OM No. 7/14/2016/IR&W/17165 dated 28.12.2016, revision of income ceiling limit under CHSS in respect of dependent parents are substituted the CHSS Clause 4.1(d) that Parents of the prime beneficiary who are wholly dependent on the prime beneficiary and normally residing with the prime beneficiary and further provided the monthly income of both the parents from all sources does not exceed Rs. 9000/- plus the amount of Dearness Relief (DR) as on the date of consideration (DR will be the amount drawn by a pensioner on the date of consideration and not the amount of DR due on the date of consideration).

जारी.... 2/-

3. आगे सीएचएसएस अनुच्छेद 4.1. B(b)(i) में प्रावधान किया गया है कि यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो बच्चों को अंशकालिक रोजगार के मामले में लाभकारी रूप से नियोजित नहीं माना जाएगा साथ ही उनकी मासिक आय 6,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। Further CHSS Clause 4.1.B(b)(i) substituted as Children will not be considered as gainfully employed in case of part time employment, if the same is certified to be so by the employer concerned and the monthly income does not exceed Rs. 6,000/-.

4. विभाग में कर्मचारी के बच्चों के संबंध में सीएचएसएस के तहत आय सीमा में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। इस मामले को सीएचएसएस समीक्षा समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है और सीएचएसएस के तहत प्रासंगिक खंड निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:
A request for revision of income ceiling limit under CHSS in respect of children of employee is received in the Department. The matter has been referred to the CHSS Review Committee for consideration. As per recommendation of CHSS Review Committee, the Competent Authority has accorded approval for same and the relevant clause under CHSS is substituted as follows :

5. <u>सीएचएसएस नियमावली का अनुच्छेद4.1B(b)(i)</u> – यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है और मासिक आय क्रमशः 9,000/- + डीए/डीआर से अधिक नहीं है तो अंशकालिक रोजगार के मामले में बच्चों को लाभप्रद रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा।
<u>Clause 4.1B(b)(i) of CHSS Rules</u> - Children will not be considered as gainfully employed in case of part-time employment, if the same is certified to be so by the employer concerned and the monthly income does not **exceed Rs. 9,000/-** + DA/DR thereon respectively.

6. यह कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा
This OM will be effective from the date of its issue.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई.रवींद्रन E. Ravendiran)
निदेशक (आईआर एण्ड डब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस प्रशासनाधीन सभी प्राधिकारी/इकाइयों के प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान
All CHSS Administering Authorities / Heads of Units / Administrative Heads of Units:

प्रतिलिपि Cc :
1. अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग व सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय O/o Chairman AEC & Secretary, DAE
2. संयुक्त सचिव (प्र.एवं ले.) का कार्यालय O/o JS(A&A)
3. प्रमाणु ऊर्जा विभाग, दर्पण DAE, Darpan.